झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

क्रिमनल अपील (डीबी) संख्या 2092 /2017

(पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा स्थित अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय द्वारा सत्र परीक्षण वाद संख्या 241 /2012 में पारित दोषसिद्धि निर्णय दिनांक 14.09.2017 एवं दण्डादेश दिनांक 16.09.2017 के विरूद्ध)

बामिया पिंगुआ, पुत्र स्वर्गीय चंबरू पिंगुआ, निवासी जंगीबुरु, पी.ओ. एवं पी.एस. मंझारी, जिला-पश्चिमी सिंहभूम

.... अपीलकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य **... ...प्रतिवादी**

P R E S E N T

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद माननीय श्रीमान। जस्टिस अरुण कुमार राय

अपीलकर्ता की ओर से : श्री पीयूष कृष्ण चौधरी, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से : श्रीमती लिली सहाय, ए.पी.पी.

सी.ए.वी. दिनांक 07/03/2024 **घोषित दिनांक 30/04/2024**

सुजीत नारायण प्रसाद, जे. के अनुसार:

प्रार्थना:

1. यह अपील, सत्र परीक्षण वाद संख्या 241 /2012 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-III, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 14.09.2017 के दोषसिद्धि निर्णय तथा दिनांक 16.09.2017 के सजा आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 10,000/- [दस हजार] रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह के कठोर कारावास की सजा भी भुगतने का निर्देश दिया गया है।

अभियोजन पक्ष का मामला:

2. यह न्यायालय, दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश की वैधता और औचित्य की जांच करने से पहले, अभियोजन पक्ष के मामले की पृष्ठभूमि का उल्लेख करना उचित और उचित समझता है।

3. सूचक पी.डब्लू.8 जानकी कुई के फर्दबयान (विस्तार 1/3) के अनुसार, जिसे पी.डब्लू.11-पुलिस उपनिरीक्षक, बिनोद उरांव, प्रभारी अधिकारी, मंझारी पी.एस. द्वारा 23.6.2012 को 6.00 बजे जंगीबुरू में बधाई पिंगुआ के घर के पास दर्ज किया गया था, अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि 22.6.2012 को शाम 05.45 बजे शाम को उसका पति बिरसा बानरा (अब मृतक) बामिया पिनुगा के साथ बदई पिंगुआ के घर के सामने स्थित इमली के पेड़ के नीचे बैठा था, जहां बामिया पिंगुआ फरसे से हल चला रहा था, उसने अपने पति से 250 रुपये की मांग की। उसके पति ने तत्काल बकाया रकम लौटाने में असमर्थता जताई। इस पर बामिया पिंगुआ ने फरसे से उसके सिर और गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसके पति बिरसा बानरा उर्फ मिचाई बानरा की मौके पर ही मौत हो गई। उसके सामने उसका फर्दबयान पढ़ा गया, जिसे उसने सुना और समझा।

4. मुखबिर के फर्दबयान के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मंझारी थाना कांड संख्या 15/2012 धारा 302 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई तथा अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् जांच अधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया तथा दिनांक 18.09.2012 के आदेश द्वारा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया, जो सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय होने के कारण विद्वान एस.डी.जे.एम. सदर, चाईबासा द्वारा दिनांक 19.10.2012 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। यथासमय यह मामला विचारण एवं निपटान हेतु विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, चाईबासा के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

5. नामित आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप तय किया गया, जिसमें उसने स्वयं को निर्दोष बताया तथा मुकदमा चलाए जाने का दावा किया।

6. मुकदमे के दौरान, अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल बारह गवाहों की जांच की, अर्थात् **पी.डब्लू.-1** बाल्मीकि तमसोय, **पी.डब्लू.-2** मदन मोहन बिरुआ, **पी.डब्लू.-3** मथुरा तमसोय, **पी.डब्लू.-4** प्रताप पूर्ति, **पी.डब्लू.-5** बुधन सिंह तमसोय, **पी.डब्लू.-6** अर्जुन तमसोय, **पी.डब्लू.-7** कुशनु बानरा, **पी.डब्लू.-8** मुखबिर जानकी कुई, **पी.डब्लू.-9** डॉ. बिनोद कुमार पंडित, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, **पी.डब्लू.-10** सागर तमसोय, **पी.डब्लू.-11** आई.ओ., एस.आई. विनोद उरांव और **पी.डब्लू.-12** मनोरंजन कुमार, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,

7. ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के साक्ष्य, मुख्य परीक्षा और जिरह दर्ज करने के बाद, अभियुक्त का बयान दर्ज किया और पाया कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप सभी उचित संदेहों से परे साबित हुए। तदनुसार, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया और उक्त अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो तत्काल अपील का विषय है।

8. दोषसिद्धि का उपरोक्त निर्णय और सजा का आदेश इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है कि क्या ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराते समय कोई अवैधानिकता की है या नहीं।

<u>अपीलकर्ता की ओर से तर्क:</u>

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री पीयूष कृष्ण चौधरी ने निम्नलिखित आधारों पर दोषसिद्धि और सजा के आदेश के आक्षेपित निर्णय पर आपत्ति की है:

I. अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे साबित किए गए आरोप को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

II. यह कि ट्रायल कोर्ट यह समझने में भी विफल रहा है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें धारा 302 आईपीसी का कोई भी तत्व लागू होता हो।

III. इस मामले में, घटना का कोई विश्वसनीय चश्मदीद गवाह नहीं है और केवल संदेह के आधार पर अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया है और मामले में दोषी ठहराया गया है।

IV. यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट पी.डब्ल्यू. के साक्ष्य को समझने में विफल रहा है। 8, सूचक जानकी कुई, जो मृतक की पत्नी है, ने अपनी जिरह में यह बयान दिया है कि उसके सामने उसका फर्दबयान नहीं पढ़ा गया। उसने यह भी बयान दिया कि उसे नहीं पता कि उसके पति की मौत कैसे हुई, क्योंकि उस समय वह अपने मायके गई हुई थी। उसने यह भी कहा कि उसे अपने पति और आरोपी के बीच पैसे के लेन-देन के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

V. यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिकांश गवाहों, जिन्हें प्रत्यक्षदर्शी कहा जाता है, की गवाही में बहुत सी विसंगतियां हैं। इसके अलावा, मामले में जांच अव्यवस्थित तरीके से की गई है और गवाहों की गवाही में कई विसंगतियां और असंगतताएं हैं। लेकिन विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि का विवादित फैसला सुनाते समय इन तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा।

VI. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत किया है कि विवादित फैसला अवैध है, इसलिए कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।

VII. वैकल्पिक रूप से, यह दलील दी गई है कि यदि अभियोजन पक्ष की कहानी को सच मान लिया जाए तो भी विद्वान ट्रायल कोर्ट यह समझने में विफल रहा है कि हत्या का अपराध केवल एक मामूली बात पर अचानक झगड़े में आवेश की गर्मी के आधार पर किया गया है।

VIII. इसलिए, वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के मामले को सत्य मानते हुए भी, तब भी, यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-I या भाग II के अंतर्गत आएगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिस तरीके और तरीके से हत्या की गई है, धारा 302 आईपीसी के तहत कोई मामला नहीं बनता है।

<u>प्रतिवादी-राज्य की ओर से तर्क:</u>

10. श्रीमती लिली सहाय, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपीलकर्ता की ओर से विवादित निर्णय के विरुद्ध उठाए गए आधारों का विरोध किया है तथा अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा है कि विवादित निर्णय में निम्नलिखित आधारों पर कोई कमी नहीं है:

I. यह ऐसा मामला है, जिसमें अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे आरोप को साबित करने में सक्षम रहा है, क्योंकि मृतक पर हमला किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई।

II. यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त बामिया पिंगुआ और बिरसा पिंगुआ (अब मृत) अपने गांव में बधाई पिंगुआ के घर के सामने स्थित इमली के पेड़ के नीचे हल चला रहे थे। कुछ देर बाद वे तम्बाकू चबा रहे थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे इसी बीच अभियुक्त बामिया पिंगुआ क्रोधित हो गया और उसने बिरसा बानरा के सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अभियुक्त को ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़ लिया, उसने ग्रामीणों (विवरण 3/1) के समक्ष और जांच अधिकारी के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया। इस तथ्य को सभी प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा लगातार दोहराया गया है।

III. इसके अलावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्सटेंशन9) और जांच रिपोर्ट (एक्सटेंशन12) भी अभियोजन पक्ष के गवाहों के कथन की पुष्टि करती है कि मृतक बिरसा बानरा की हत्या धारदार हथियार से वार करने के कारण हुई थी। उत्पादन-सह-जब्ती सूची एक्सटेंशन6/2 से यह भी पता चला कि ग्रामीणों ने मौके पर आरोपी के कब्जे से कुल्हाड़ी जब्त की थी जिसे जांच अधिकारी ने जांच के लिए एसएफएसएल रांची भेजा था। एसएफएसएल रिपोर्ट एक्सटेंशन13/1 से पता चला कि कुल्हाड़ी पर ए-ग्रुप का मानव रक्त पाया गया था और अभियोजन पक्ष के गवाहों के कथन की पुष्टि करता है कि घटना की तारीख को आरोपी बामिया पिंगुआ ने मृतक की हत्या उसके सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करके की थी।

IV. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आधार पर तर्क दिया है कि विवादित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विश्लेषण

11. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है, विशेष रूप से गवाहों की गवाही और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का।

12. यह न्यायालय, पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्क पर विचार करने से पहले, अब विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई गवाही के अनुसार गवाहों के बयान पर विचार करने जा रहा है।

गवाहों की गवाही:

13. **पी. डब्लू. -01, बाल्मीकि तामसोय** ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना दिनांक 22.6.2012, शुक्रवार को सायं 4.45 बजे घटित हुई, जब वह बधाई पिंगुआ के घर के सामने स्थित इमली के पेड़ के नीचे मौजूद था। उस समय अर्जुन तामसोय, बधाई पिंगुआ, बुधु बानरा, मंगल सिंह पिंगुआ, बिरसा बानरा, चुंगरू पिंगुआ, बामिया पिंगुआ तथा 4-5 महिलाएं भी वहां मौजूद थीं। जहां अर्जुन तामसोय बधाई पिंगुआ, बुधु बानरा, मंगल सिंह पिंगुआ तथा बामिया पिंगुआ कुदाल से हल चला रहे थे। बिरसा बानरा और बामिया पिंगुआ इमली के पेड़ के नीचे एक दूसरे के सामने बैठे थे और तंबाकू चबाते हुए एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, इस पर बामिया पिंगुआ नाराज हो गया और उसने बिरसा बानरा से अपने 250 रुपये वापस मांगे। तब बिरसा बानरा ने उससे कहा कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो क्या होगा। जिस पर बामिया पिंगुआ ने बिरसा बानरा के सिर और गर्दन पर फरसे से वार कर दिया जिससे वह वहीं गिर गया और उसके शरीर से बहुत खून बहने लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना गांव मुंडा को दी गई जिस पर गांव मुंडा ने डाकुआ की मदद से आरोपी बामिया पिंगुआ को इमली के पेड़ से बांध दिया।

14. अगले दिन सुबह 6 बजे पुलिस आई और जानकी कुई का बयान लिया तथा उसे बयान की विषय-वस्तु समझाई। जानकी कुई ने इसे सत्य पाया तथा फर्दबयान पर अपना अंगूठा लगाया। उसने उस पर अपना हस्ताक्षर भी किया, पहचान करने पर उसे एक्सटेंशन 1 के रूप में अंकित किया गया। उसने न्यायालय के समक्ष उपस्थित अभियुक्त की पहचान की। उसका बयान जेएम के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया,

जिस पर उसके हस्ताक्षर भी हैं, पहचान करने पर उसे एक्सटेंशन 2 के रूप में अंकित किया गया है। अभियुक्त बामिया पिंगुआ ने भी पंचायत के मुखिया मदन मोहन बिरुआ के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर भी हैं, पहचान करने पर उसे एक्सटेंशन 3 के रूप में अंकित किया गया है। बामिया पिंगुआ ने भी पुलिस के समक्ष अपनी उपस्थिति में अपना अपराध स्वीकार किया। उन्होंने उस पर अपना हस्ताक्षर भी किया, पहचान करने पर इसे एक्सटेंशन 4 के रूप में अंकित किया गया है।

15. अपने जिरह में उन्होंने कहा है कि जानकी कुई एक अनपढ़ महिला है, उसे हिंदी नहीं आती। वह 'हो' भाषा में बोलती है, फर्दबयान उसे समझ में नहीं आया। गवाहों ने आगे कहा कि मुखिया और वहां मौजूद अन्य व्यक्ति ने सूचक को 'हो' भाषा में फर्दबयान पढ़ा। सभी कागजात मुखिया मदन मोहन, बिरुआ मुंडा और ग्रामीणों के समक्ष तैयार किए गए थे।

16. अभियुक्त बामिया पिंगुआ भी अनपढ़ व्यक्ति है और वह 'हो' भाषा बोलता और जानता है। उसने घटनास्थल की सीमा बताई। उत्तर- मोतीराम तामसोय की जमीन, दक्षिण- इमली के दो पेड़, पूर्व- लुदरीकुई की जमीन, पश्चिम- बरई पिंगुआ का घर। उसने आगे यह भी बयान दिया कि जिस कुल्हाड़ी से अभियुक्त ने वार किया वह आज उसके सामने अदालत में नहीं थी। उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को नकार दिया कि वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था और कथित घटना अभियुक्त द्वारा नहीं की गई थी, उसने झूठा बयान दिया और अभियुक्त को इस मामले में फंसाया।

17. **पी. डब्लू.02 मदन मोहन बिरुआ** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 23.6.2012 को उन्हें ग्रामीणों से सूचना मिली कि जंगीपुर गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। वे वहां गए तो देखा कि इमली के पेड़ के नीचे शव पड़ा हुआ था तथा जिस व्यक्ति ने हत्या की थी वह भी वहीं बैठा था। गांव का मुंडा सागर तामसोय ने अभियुक्त से पूछा कि उसने हत्या क्यों की? जिस पर उसने बताया कि मृतक ने उससे 250/- रुपए कर्ज के रूप में लिए थे तथा उसने यह रकम नहीं लौटाई, जिससे वह नाराज हो गया और उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त द्वारा अपना इकबालिया बयान दर्ज किया गया, जिस पर गवाहों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान है, पहचान करने पर इसे एक्सटेंशन3/1 अंकित किया गया है। उन्होंने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अभियुक्त के इकबालिया बयान पर अपने

हस्ताक्षर किए, पहचान करने पर इसे एक्सटेंशन 4/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने कटघरे में मौजूद अभियुक्त की पहचान की और कहा कि इस व्यक्ति ने उनके सामने अपना अपराध कबूल किया है।

18. अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कहा है कि उसे नहीं पता कि मृतक बिरसा बानरा की मृत्यु कैसे और कब हुई। इस मामले में जांच अधिकारी ने उसका बयान नहीं लिया। उसने सबसे पहले न्यायालय के समक्ष अपना बयान दिया। वह घटना की तिथि पर घटनास्थल पर नहीं गया। अभियुक्त का इकबालिया बयान 23.6.2012 को उसके द्वारा दर्ज किया गया था, लेकिन उस पर तारीख अंकित नहीं थी। अभियुक्त बामिया पिंगुआ केवल 'हो' भाषा जानता और बोलता है। वह न तो हिन्दी बोलता है और न ही समझता है। अभियुक्त के इकबालिया बयान (एक्सटेंशन 3/1) में यह उल्लेख नहीं है कि उसके समक्ष 'हो' भाषा में पढ़ा गया उसका बयान उसे सत्य लगा, उसने उस पर अपना एल.टी.आई. लगा दिया। उन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव को खारिज कर दिया कि आरोपी बामिया पिंगुआ ने उनके सामने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया और उसने झूठी गवाही दी। उनके सामने किसी ने यह नहीं बताया कि मृतक ने आरोपी से कब और कहां 250 रुपये कर्ज के तौर पर लिए थे।

19. **पी. डब्लू 03 मथुरा तामसोय** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि बामिया पिंगुआ ने 22.6.2012 को शाम के समय बिरसा बानरा की हत्या की, जब वह अपने घर पर मौजूद था। उसने सुना कि बामिया पिंगुआ ने 250/- रुपए उधार दिए थे, जब अभियुक्त ने बकाया राशि वापस मांगी तो बिरसा बानरा ने कहा कि अगर वह पैसे वापस नहीं करेगा तो वह क्या करेगा, इस पर बामिया पिंगुआ ने बिरसा बानरा के सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। उसका बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया और उसने उस पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिसे एक्सटेंशन 5 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर, उनके समक्ष दर्ज किए गए अभियुक्त बामिया पिंगुआ के इकबालिया बयान और पुलिस के समक्ष दर्ज किए गए अभियुक्त के इकबालिया बयान की पहचान की, जिन्हें क्रमश: एक्सटेंशन 1/1, 3/2 और 4/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने कटघरे में मौजूद अभियुक्त की पहचान की। अपनी जिरह में उन्होंने कहा कि उनके द्वारा यह गवाही नहीं दी गई कि बिरसा बानरा की मृत्यु कैसे हुई। पुलिस ने घटना की तारीख पर इस मामले

के बारे में उनसे पूछताछ की। उन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया कि उन्होंने झूठी गवाही दी।

20. **पी. डब्लू 04, प्रताप पूर्ति** ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना तीन वर्ष पूर्व की है, जब बामिया पिंगुआ ने बिरसा बानरा की गर्दन और सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी, जिससे उसकी इमली के पेड़ के नीचे मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, जब वह वहां पहुंचा तो मृतक का शव वहां पड़ा था। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां मोटा पिंगुआ, बदाय पिंगुआ, दुलय बिरुआ, अर्जुन सिंह तामसोय मौजूद थे। बामिया पिंगुआ ने वहां मौजूद लोगों के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया। उसने अपने अंगूठे का निशान भी लगाया। उसने कटघरे में मौजूद आरोपियों की पहचान की। जांच अधिकारी ने इस मामले में उसका बयान लिया।

21. जिरह में उसने बताया कि उसका घर घटनास्थल से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। उसने नहीं देखा कि बिरसा बानरा की मौत कैसे हुई। उसने जांच अधिकारी के समक्ष बताया कि बामिया पिंगुआ ने बिरसा बानरा पर वार किए। 'हंसी' (असाधारण) की लंबाई लगभग एक हाथ थी। 'हंसी' (असाधारण) पर खून लगा हुआ था। उक्त 'हंसी' उस दिन उसके सामने अदालत में नहीं था। बाल्मीकि तमसोय ने उसके सामने बामिया पिंगुआ का इकबालिया बयान पढ़ा, लेकिन उसे इसकी तारीख याद नहीं है। उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को खारिज कर दिया कि कथित घटना नहीं हुई थी और आरोपी को इस मामले में झूठा फंसाया गया था।

22. **पी. डब्लू 05, बुधन सिंह तामसोय** ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह बिरसा बानरा को जानता था। बामिया पिंगुआ ने बिरसा बानरा के सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वह घटनास्थल पर गया तो देखा कि जमीन पर खून गिरा हुआ था और वहां मौजूद व्यक्ति ने आरोपी बामिया पिंगुआ को पकड़ लिया। उसने बामिया पिंगुआ से पूछा कि उसने मृतक की हत्या क्यों की, जिस पर उसने बताया कि आरोपी ने 250/- रुपए कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन वह वापस नहीं लौटा, इसलिए उसने हत्या कर दी। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पुलिस मौजूद थी। घटनास्थल पर पुलिस को खून से सना कुल्हाड़ी सौंपी गई,

जिन्होंने जब्ती सूची तैयार की। उन्होंने इस पर अपने हस्ताक्षर किए, पहचान करने पर इसे एक्सटेंशन 6 के रूप में चिह्नित किया गया है। जांच के दौरान उनका बयान अदालत में दर्ज किया गया। उन्होंने पहचान करने पर अपने बयान पर अपने हस्ताक्षर किए, जिसे एक्सटेंशन 7 के रूप में चिह्नित किया गया है। जांच अधिकारी ने इस मामले में उनका बयान लिया। उन्होंने अदालत में मौजूद आरोपी की पहचान की।

23. जिरह में उसने कहा है कि घटना उसके द्वारा नहीं देखी गई। उसने अगले दिन घटनास्थल पर शव देखा था।

24. **पी. डब्लू 06 अर्जुन तामसोय** ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना वर्ष 2012 में घटित हुई थी। उस समय वह स्नान करने जा रहा था और जब वह अपने गांव में इमली के पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि बामिया पिंगुआ और बिरसा बानरा मजाक कर रहे थे और हल चला रहे थे। मजाक के दौरान बामिया ने बिरसा बानरा से अपना 250/- रूपये का कर्ज वापस मांगा, जिस पर बिरसा ने कहा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। इस पर बामिया पिंगुआ क्रोधित हो गया और उसने बिरसा के सिर पर फरसे से वार कर दिया। जिससे उसकी गर्दन से खून बहने लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटना स्थल पर आकर आरोपी बामिया पिंगुआ को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आरोपी बामिया पिंगुआ के इकबालिया बयान पर अपने हस्ताक्षर किए, ग्रामीणों और पुलिस के समक्ष पहचान करने पर उनके हस्ताक्षर क्रमशः एक्सटेंशन 3/3 और 4/2 के रूप में अंकित किए गए हैं। अद्ज़े को जब्त कर लिया गया और उसके सामने पुलिस द्वारा जब्ती सूची तैयार की गई। उन्होंने जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर किए, उनका बयान विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री मनोरंजन कुमार के समक्ष भी दर्ज किया गया, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज उनके बयान पर जब्ती सूची पर उनके हस्ताक्षर क्रमशः एक्सटेंशन 6/1 और 8 के रूप में अंकित किए गए हैं। उन्होंने कटघरे में मौजूद आरोपी की पहचान की।

25. अपनी जिरह में उसने बताया कि पुलिस ने 23.6.2012 को उसका बयान लिया, पुलिस ने घटनास्थल पर ही कुल्हाड़ी सील कर दी थी, लेकिन उसने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसने अदालत के समक्ष अपना बयान पढ़ा। मृतक और आरोपी के बीच 250 रुपए के लेन-देन के समय वह मौजूद नहीं था। घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद था।

घटनास्थल की सीमा पूर्व- करौंजी का पेड़, पश्चिम- बधाई पिंगुआ का घर, उत्तर- दायरा, दक्षिण- चमरू पिंगुआ का घर। उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया कि उसने आरोपी से दुश्मनी के कारण झूठा बयान दिया।

26. **पी.डब्लू.07 कुशनु बानरा** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि बिरसा बानरा की हत्या की गई थी। उन्होंने मृतक बिरसा बानरा की जांच रिपोर्ट पर अपना एलटीआई लगाया। उन्होंने सुना कि बामिया पिंगुआ ने बिरसा बानरा की हत्या की थी। उन्होंने कटघरे में मौजूद आरोपियों की पहचान की। अपने जिरह में उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि बिरसा बानरा की हत्या किसने की थी। उन्होंने अपने बेटे चिरू बानरा से सुना कि बिरसा बानरा की मृत्यु हो गई है। जांच अधिकारी ने उनका बयान नहीं लिया था। जिस दस्तावेज पर उन्होंने अपना अंगूठा लगाया था, उसे उनके सामने पढ़ा नहीं गया था। उन्हें इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

27. **पी.डब्लू.08 सूचक जानकी कुई**, जो मृतक की पत्नी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि बामिया पिंगुआ ने उसके पति बिरसा बानरा की हत्या 'हंसी' (कुल्हाड़ी) से सिर और गर्दन पर वार करके की थी। उसने अपने पति का शव देखा। उसके सिर और गर्दन पर चोट के निशान थे। उसने सुना कि बामिया पिंगुआ ने उसके पति से पैसे मांगे थे। लेकिन उसने उक्त राशि नहीं दी, इसलिए बामिया ने अपने पति की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने उसे बताया कि बामिया ने इमली के पेड़ के नीचे अपने पति की हत्या कर दी। जांच अधिकारी ने इस मामले में उसका बयान लिया। पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया, जैसा कि उसने बताया कि यह उसके सामने भी पढ़ा गया, उसने पाया कि यह सच है, उसने इस पर अपने अंगूठे का निशान लगाया, उसने कटघरे में मौजूद आरोपी की पहचान की।

28. जिरह में उसने कहा है कि उसके सामने उसका फर्दबयान नहीं पढ़ा गया। उसे नहीं पता कि उसके पति की मौत कैसे हुई, क्योंकि उस समय वह अपने मायके गई हुई थी। उसे अपने पति और आरोपी के बीच पैसे के लेन-देन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जांच अधिकारी ने इस मामले में उसका बयान लिया। वह यह नहीं बता सकती कि उसे अपने पति की मौत की जानकारी किससे मिली।

29. **पी.डब्लू.09 डॉ. विनोद कुमार पंडित** ने बताया कि 23.5.2012 को वे सदर अस्पताल, चाईबासा के एम.ओ. के पद पर पदस्थापित थे। उसी दिन उन्होंने बिरसा बानरा उर्फ

मिचुई, पुत्र स्वर्गीय अंकुर बानरा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम जंगीबुरू, थाना मंझारी, जिला-पश्चिमी सिंहभूम के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसे थाना मंझारी के पुलिस नंबर 327 के रामपुकार तिवारी ने लाकर उसकी पहचान की, तथा उसके शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाईं।

बाहरी और आंतरिक चोटें:

I. गर्दन पर बाईं ओर 4"x2"x3" आकार का गहरा घाव, जिसमें सभी नरम ऊतक और कशेरुका आंशिक रूप से कट गए हैं।

II. बीच में खोपड़ी पर 4"x3"x हड्डी गहरा नुकीला घाव, मस्तिष्क पदार्थ में घाव, कपाल गुहा में खून का थक्का, पेट में अपचित भोजन पदार्थ मौजूद। दिल-दोनों कक्ष खाली। मृत्यु के बाद का समय- 12 घंटे से अधिक लेकिन 48 घंटे के भीतर ऊपरी और निचले दोनों अंगों में रिगोर्मोर्टिस मौजूद।

मृत्यु का कारण- सिर पर चोट, रक्तस्राव और सदमा। उपर्युक्त चोटें मृत्यु पूर्व प्रकृति की हैं और नुकीली वस्तु के कारण हुई हैं। यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट उनके पेन और हस्ताक्षर से है, पहचान करने पर इसे एक्सटेंशन 9 के रूप में चिह्नित किया गया है।

जिरह में, उन्होंने कहा है कि मृतक ने लगभग आधे घंटे पहले भोजन किया था क्योंकि पाचन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति उचित ऊंचाई से नुकीली स्थिर वस्तु पर गिरता है तो इस प्रकार की चोटें संभव हो सकती हैं। यह सच नहीं है कि उनकी रिपोर्ट अस्पष्ट है।

30. **पी.डब्लू. 10 सागर तामसोय** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि बिरसा की हत्या बामिया ने की थी, उसने बिरसा का शव देखा था। उसने फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, पहचान करने पर यह एक्स्टेंशन 1/2 के रूप में अंकित किया गया है। जांच अधिकारी ने इस मामले में उसका बयान लिया। उसने कटघरे में उपस्थित अभियुक्त की पहचान की। उसने अपने जिरह में कहा है कि उसे नहीं पता कि बिरसा की मृत्यु कैसे और कब हुई। वह जानकी कुई के साथ थाने नहीं गया था। उसने जांच अधिकारी के समक्ष यह भी कहा कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फर्दबयान न तो

उसने पढ़ा था और न ही उसके सामने पढ़ा गया था। जानकी कुई ने अपना फर्दबयान 'हो' भाषा में दिया था। उसने मृतक का शव नहीं देखा था।

31. **पी.डब्लू. 11 आई.ओ. विनोद उरांव** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 23.6.2012 को वे मंझारी थाना में प्रभारी पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे। उसी दिन उन्होंने सूचक का फर्दबयान दर्ज किया जो उनकी अपनी लिखावट में है और उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। सूचक ने उस पर अपने अंगूठे का निशान भी दिया है। उस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी हैं। पहचान करने पर इसे एक्सटेंशन1/3 के रूप में अंकित किया गया है। इसके अलावा उनके परीक्षण के दौरान फर्दबयान पर समर्थन, उत्पादन-सह-जब्ती सूची, औपचारिक प्राथमिकी, अभियुक्त बामिया पिंगाऊ की गिरफ्तारी ज्ञापन, मृतक बिरसा बानरा उर्फ मुची बानरा की जांच रिपोर्ट और अभियुक्त बामिया पिंगाऊ के इकबालिया बयान को क्रमशः एक्सटेंशन1/4, 6/2, 10, 11, 12 और 4/3 के रूप में अंकित किया गया है। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस मामले का घटनास्थल ग्राम जंगीबुरू के बधाई पिंगुआ के घर के सामने मोती राम तामसोय की बंजर जमीन पर स्थित इमली पेड़ के नीचे है। जहां बामिया पिंगुआ ने बिरसा बानरा के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घटनास्थल की सीमा पूरब-लुदरी कुई की बंजर जमीन, पश्चिम-बधाई पिंगुआ का घर, उत्तर-मोती तामसोय की बंजर जमीन, इमली के दो पेड़ उसके बाद बामिया पिंगौ का घर बताई गई है। उन्होंने घटनास्थल पर इमली के पेड़ के नीचे खून के धब्बे देखे उसके बाद उन्होंने जानकी कुई का बयान और गवाह बाल्मीकि तामसोय, मथुरा तामसोय, प्रताप प्रुटी, मदन मोहन बिरुआ, सागर तामसोय, बुधन सिंह तामसोय, अर्जुन तामसोय, कुशनु बानरा, बुधु बानरा और बधाई पिंगुआ का बयान लिया। उन्हें मृतक बिरसा बानरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली सीआरपीसी की धारा 164 के तहत गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ने अर्जुन तामसोय, बदई पिंगाऊ, बुधु बानरा, बाल्मीकि तामसोय, सागर तामसोय, मथुरा तामसोय, बुधन सिंह तामसोय और प्रताप पूर्ति का बयान दर्ज किया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत गवाहों के बयान के आधार पर वरीय अधिकारी के आदेश से उन्होंने मामले को सत्य पाया और आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप पत्र समर्पित किया और अन्य बिंदुओं पर जांच लंबित रखी। एसआई महेंद्र कुमार द्वारा एसएफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और पहचान करने पर इसे एक्सटेंशन 13 के रूप में अंकित किया गया। उन्होंने कटघरे में मौजूद

आरोपियों की पहचान की। अपने जिरह में उन्होंने कहा है कि सूचक एक अनपढ़ महिला थी। उन्होंने फर्दबयान में उल्लेख नहीं किया है कि उसने अपना बयान 'हो' या हिंदी में दिया था। उत्पादन सह जब्ती सूची में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कुल्हाड़ी किसके द्वारा पेश की गई थी। उत्पादन सह जब्ती सूची पर निर्माता के हस्ताक्षर नहीं थे। केस डायरी में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि जब्त सामग्री घटनास्थल पर सीलबंद थी या नहीं। उसे यह याद नहीं है कि जब्त सामग्री पर आरोपी या गवाहों या उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जब्त सामग्री को मालखाने में रखा, लेकिन केस डायरी में एमआर नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है। उसने घटनास्थल का पूरी तरह से निरीक्षण किया, लेकिन उसने कोई वस्तु या खून से सनी मिट्टी और कपड़ा जब्त नहीं किया। कुल्हाड़ी के हैंडल से फिंगर प्रिंट नहीं लिए गए। घटनास्थल की पुलिस द्वारा कोई फोटोग्राफी नहीं की गई। उसने जांच के दौरान घटनास्थल का कोई नक्शा नहीं बनाया। जांच के दौरान उसने कोई सबूत नहीं जुटाया कि आरोपी ने मृतक को 250 रुपये क्यों और कब दिए थे। केस डायरी में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि आरोपी ने अपना इकबालिया बयान किस भाषा में दिया था। इकबालिया बयान में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि आरोपी के सामने कबूलनामा किस भाषा में पढ़ा गया था। जांच के दौरान उन्होंने मृतक के रक्त समूह की जांच नहीं की। उन्होंने बचाव पक्ष के इस आरोप को नकार दिया कि उनकी जांच में खामियां थीं और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ गलत धाराओं के तहत आरोप पत्र पेश किया है।

32. **मनोरंजन कुमार, जे.एम. प्रथम श्रेणी, पी.डब्लू. 12** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 04.09.2012 को वे सिविल कोर्ट, चाईबासा में जे.एम. प्रथम श्रेणी के पद पर पदस्थापित थे। उसी दिन, विद्वान सी.जे.एम., चाईबासा द्वारा पारित आदेश के आलोक में, उन्होंने गवाह अर्जुन तामसोय (पी.डब्लू.6), बधाई पिंगुआ, बुधु बानरा, प्रताप पूर्ति (पी.डब्लू.4), सागर तामसोय (पी.डब्लू..10), बाल्मीकि तामसोय (पी.डब्लू.1), मथुरा तामसोय (पी.डब्लू.3) और बुधन सिंह तामसोय (पी.डब्लू.5) का बयान सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत दर्ज किया, जो उनके कलम और हस्ताक्षर में है। गवाहों के बयान को एक्स्टेंशन 14 से 14/7 के रूप में चिह्नित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण में उन्होंने कहा है कि साक्षी 1,6,7 एवं 8 के बयान में यह प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है कि उनके बयान को पढ़ा व समझा गया है, क्योंकि वे हिन्दी पढ़ना, बोलना व लिखना जानते थे।

साक्षी ने अपने हस्ताक्षर के नीचे यह उल्लेख नहीं किया है कि उन्होंने उनके बयान को पढ़ने के बाद हस्ताक्षर किए हैं। अनुवादक हरीश सिंह सिंकू ने यह प्रमाण पत्र नहीं दिया है कि उसने हिन्दी भाषा का 'हो' में अनुवाद किया है तथा साक्षियों को उसकी विषय-वस्तु समझ में आई है, बल्कि साक्षी ने कहा है कि अनुवादक ने हिन्दी में दर्ज बयान को 'हो' भाषा में अनुवाद करने के लिए समझा है। एक्सटेंशन 3/1 अभियुक्त द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में दिया गया न्यायेतर स्वीकारोक्ति है, जिसे पी.डब्लू.2 ग्राम मुखिया मदन मोहन पिंगुआ ने दर्ज किया है। बामिया पिंगुआ ने स्वीकार किया है कि दिनांक 22.06.2012 को 5.45 अपराह्न शाम को उसने बढई पिंगुआ के घर के सामने स्थित इमली के पेड़ के नीचे बिरसा बानरा से अपना बकाया 250 रूपये मांगा जिस पर उसने (बिरसा बानरा) तत्काल पैसा नहीं लौटाने की बात कही, इस पर वह क्रोधित हो गया और उसने बसूला से बिरसा बानरा के सिर और गर्दन पर वार कर दिया जिससे उसे गंभीर चोटें आयीं और खून बहने लगा जिसके परिणामस्वरूप बिरसा बानरा की तत्काल वहीं मौत हो गयी।

33. विद्वान विचारण न्यायालय ने, ऊपर उल्लिखित प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के आधार पर, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया है तथा आजीवन कारावास की सजा काटने का निर्देश दिया है।

<u>विधि बिंदु का संदर्भ</u>

34. यह न्यायालय, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या धारा 304 भाग-1 या भाग-2 के अंतर्गत अपराध करने के लिए अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों तथा पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या 304 भाग-1 या भाग-2 के अंतर्गत किए गए अपराध की प्रयोज्यता के संबंध में कुछ न्यायिक घोषणाओं का संदर्भ देना उचित और उचित समझता है।

35. **नानकौनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में [(2016) 3 एससीसी 317]** में रिपोर्ट किया गया है कि इरादा मकसद से अलग है। यह इरादा है जिसके साथ कार्य किया जाता है जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने में अंतर करता है कि अपराध गैर इरादतन हत्या है या हत्या, त्वरित संदर्भ के लिए पैराग्राफ 11 को उद्धृत किया जा रहा है और नीचे संदर्भित किया जा रहा है: -

"11. इरादा मकसद से अलग होता है। जिस इरादे से काम किया जाता है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपराध गैर इरादतन हत्या है या हत्या। धारा 300 आईपीसी के तीसरे खंड में दो भाग होते हैं। पहले भाग के तहत यह साबित किया जाना चाहिए कि जो चोट लगी है, उसे पहुंचाने का इरादा था और दूसरे भाग के तहत यह साबित किया जाना चाहिए कि प्रकृति के सामान्य क्रम में चोट मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। धारा 300 आईपीसी के खंड तीन पर विचार करते हुए और विरसा सिंह मामले [विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1958 एससी 465] में बताए गए सिद्धांतों को दोहराते हुए, जय प्रकाश बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) [जय प्रकाश बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1991) 2 एससीसी 32], पैरा 12 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना: (एससीसी पृष्ठ 41)"

"12. *इन टिप्पणियों का हवाला देते हुए, जगरूप सिंह मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ [जगरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य,* (1981) 3 *एससीसी* 616], *ने इस प्रकार टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ* 620, *पैरा* 7)"

"7. ... विवियन बोस, जे. की ये टिप्पणियां लोकस क्लासिकस बन गई हैं। विरसा सिंह मामले [विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1958 *एससी* 465] *में खंड तीन की प्रयोज्यता के लिए निर्धारित परीक्षण अब हमारी कानूनी प्रणाली में शामिल हो गया है और कानून के शासन का हिस्सा बन गया है।"*

खंडपीठ ने यह भी माना कि विरसा सिंह मामले [विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1958 *एससी* 465] *के फैसले का हमेशा मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में पालन किया गया है। इन दोनों मामलों में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि (*1) *शरीर पर चोट मौजूद है,* (2) *यह चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है,* (3) *कि अभियुक्त ने उस विशेष चोट को पहुंचाने का इरादा किया था, अर्थात यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं थी या किसी अन्य प्रकार की चोट का इरादा था। दूसरे शब्दों में खंड तीन में दो भाग होते हैं। पहला भाग यह है कि चोट पहुंचाने का इरादा था जो मौजूद पाया गया है और दूसरा भाग यह कि उक्त चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। पहले भाग के तहत*

अभियोजन पक्ष को दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित करना होगा कि अभियुक्त का इरादा उस विशेष चोट को पहुंचाना था। जबकि दूसरे भाग के तहत क्या यह मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, यह एक वस्तुनिष्ठ जांच है और यह चोट के विवरण से अनुमान या निष्कर्ष का मामला है। धारा 300 के खंड तीन की भाषा दो स्थानों पर इरादे की बात करती है और प्रत्येक में अभियोजन पक्ष द्वारा अनुक्रम स्थापित किया जाना है, इससे पहले कि मामला उस खंड में आ सके। अभियुक्त का "इरादा" और "ज्ञान" मन की व्यक्तिपरक और अदृश्य अवस्थाएँ हैं और उनके अस्तित्व को परिस्थितियों से ही समझा जाना चाहिए, जैसे कि इस्तेमाल किया गया हथियार, हमले की क्रूरता, चोटों की बहुलता और अन्य सभी आस-पास की परिस्थितियाँ। संहिता के निर्माताओं ने जानबूझकर "इरादा" और "ज्ञान" शब्दों का इस्तेमाल किया और यह स्वीकार किया जाता है कि किसी कार्य को करने के परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों का ज्ञान, उस इरादे के समान नहीं है कि ऐसे परिणाम होने चाहिए। सबसे पहले, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो यह माना जाता है कि उसे पता होना चाहिए कि कुछ निर्दिष्ट हानिकारक परिणाम होंगे या हो सकते हैं। लेकिन वह ज्ञान केवल जागरूकता है और उस इरादे के समान नहीं है कि ऐसे परिणाम होने चाहिए। "ज्ञान" की तुलना में, "इरादे" के लिए परिणामों की मात्र दूरदर्शिता से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है, अर्थात, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को उद्देश्यपूर्ण तरीके से करना।"

36. **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या, (1976)** 4 एससीसी 382 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 तथा उनके परिणामों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए, निम्नानुसार निर्णय दिया: -

"12. दंड संहिता की योजना में, "दोषी हत्या" जीनस है और "हत्या" प्रजाति है। सभी "हत्या" "दोषी हत्या" है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। सामान्य रूप से, "हत्या के बराबर न होने वाली गैर-दोषी हत्या"। इस सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा तय करने के उद्देश्य से, संहिता व्यावहारिक रूप से तीन डिग्री की दोषी हत्या को मान्यता देती है। पहला वह है जिसे "पहली डिग्री की दोषी हत्या" कहा जा सकता है। यह दोषी हत्या का सबसे बड़ा रूप है, जिसे धारा 300 में "हत्या" के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे को 'दोषी हत्या' कहा जा सकता

है। दूसरी डिग्री का'। यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। फिर, "तीसरी डिग्री का गैर इरादतन हत्या" है। यह गैर इरादतन हत्या का सबसे निम्न प्रकार है और इसके लिए प्रदान की गई सज़ा भी, तीनों ग्रेड के लिए प्रदान की गई सज़ाओं में सबसे कम है। इस डिग्री का गैर इरादतन हत्या धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है।"

[ज़ोर दिया गया]

37. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए अनबाझगन बनाम राज्य के मामले में दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, जिसका प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया, जिसकी रिपोर्ट 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 857 में की गई है, जिन्हें निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:

"66. उपरोक्त चर्चा से समझे जाने वाले कानून के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:—

(1). जब अदालत के सामने यह सवाल आता है कि आरोपी ने कौन सा अपराध किया है, तो सही परीक्षण यह पता लगाना है कि आरोपी ने ऐसा करने में क्या इरादा या ज्ञान रखा था। यदि इरादा या ज्ञान ऐसा था जैसा कि आईपीसी की धारा 300 के खंड (1) से (4) में वर्णित है, तो कृत्य हत्या माना जाएगा, भले ही केवल एक ही चोट पहुंचाई गई हो। ---

(2). जब अभियुक्त का इरादा या ज्ञान आईपीसी की धारा 300 के खंड (1) से (4) के अंतर्गत आता हो, तब भी अभियुक्त का कार्य जो अन्यथा हत्या होता, हत्या के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा, यदि अभियुक्त का मामला उस धारा में सूचीबद्ध पाँच अपवादों में से किसी एक को आकर्षित करता है। यदि मामला उन अपवादों में से किसी के अंतर्गत आता है, तो अपराध गैर इरादतन हत्या होगा, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, जो आईपीसी की धारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत आता है, यदि अभियुक्त का मामला ऐसा है जो आईपीसी की धारा 300 के खंड (1) से (3) के अंतर्गत आता है। यह धारा 304 के भाग II के अंतर्गत अपराध होगा यदि मामला ऐसा है जो आईपीसी की धारा 300 के खंड (4) के अंतर्गत आता है। फिर, अभियुक्त का इरादा या ज्ञान ऐसा हो सकता है कि आईपीसी की धारा 299

का केवल दूसरा या तीसरा भाग ही लागू हो सकता है, लेकिन आईपीसी की धारा 300 का कोई भी खंड लागू नहीं हो सकता। उस स्थिति में भी, अपराध आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या माना जाएगा। यदि मामला धारा 299 के दूसरे भाग के अंतर्गत आता है, तो यह उस धारा के भाग I के तहत अपराध होगा, जबकि यदि मामला आईपीसी की धारा 299 के तीसरे भाग के अंतर्गत आता है, तो यह धारा 304 के भाग II के तहत अपराध होगा।

(3) दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि अभियुक्त व्यक्ति का कृत्य आईपीसी की धारा 299 में वर्णित सदोष मानव वध के मामलों के पहले दो खंडों के अंतर्गत आता है, तो वह धारा 304 के पहले भाग के अंतर्गत दंडनीय है। तथापि, यदि वह तीसरे खंड के अंतर्गत आता है, तो वह धारा 304 के दूसरे भाग के अंतर्गत दंडनीय है। इसलिए, वास्तव में, इस धारा का पहला भाग तब लागू होगा जब "दोषपूर्ण इरादा" हो, जबकि दूसरा भाग तब लागू होगा जब ऐसा कोई इरादा न हो, लेकिन "दोषपूर्ण ज्ञान" हो।

(4). यदि एक भी चोट पहुंचाई गई हो, यदि वह विशेष चोट जानबूझकर पहुंचाई गई हो, और वस्तुगत रूप से वह चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, तो आईपीसी की धारा 300 के खंड 3 की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और अपराध हत्या होगा।

(5). भारतीय दंड संहिता की धारा 304 निम्नलिखित प्रकार के मामलों पर लागू होगी: (i) जब मामला धारा 300 के किसी एक खंड के अंतर्गत आता हो, लेकिन वह उस धारा के अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत आता हो, (ii) जब कारित की गई चोट की संभावना उस उच्चतर स्तर की न हो जो "प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती हो, लेकिन संभावना की निम्नतर स्तर की हो जिसे सामान्यतः "मृत्यु का कारण बनने वाली" चोट कहा जाता है और मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (2) के अंतर्गत नहीं आता हो, (iii) जब कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता हो कि मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु या मृत्यु का कारण बनने वाली चोट का इरादा न हो। संक्षेप में कहें तो, आईपीसी की धारा 304 के दो भागों

के बीच अंतर यह है कि पहले भाग के तहत, हत्या का अपराध पहले स्थापित किया जाता है और फिर आरोपी को आईपीसी की धारा 300 के अपवादों में से एक का लाभ दिया जाता है, जबकि दूसरे भाग के तहत, हत्या का अपराध कभी भी स्थापित नहीं होता है। इसलिए, आईपीसी की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय अपराध के लिए किसी आरोपी को दोषी ठहराने के उद्देश्य से, आरोपी को अपना मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत लाने की आवश्यकता नहीं है।

(6). "संभावित" शब्द का अर्थ संभवतः है और इसे अधिक "संभवतः" से अलग किया जाता है। जब घटित होने की संभावना उसके न घटित होने से बराबर या अधिक होती है, तो हम कह सकते हैं कि वह चीज़ "संभवतः घटित होगी"। निष्कर्ष पर पहुँचने में, न्यायालय को अभियुक्त की स्थिति में खुद को रखना होगा और फिर यह निर्णय करना होगा कि क्या अभियुक्त को यह ज्ञान था कि उसके द्वारा किए गए कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है।

(7) आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप से निपटने के दौरान सदोष मानव वध (आईपीसी की धारा 299) और हत्या (आईपीसी की धारा 300) के बीच अंतर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गैरकानूनी हत्याओं की श्रेणी में, हत्या के बराबर सदोष मानव वध और हत्या के बराबर न होने वाले दोनों मामले आते हैं। सदोष मानव वध तब हत्या नहीं है जब मामला आईपीसी की धारा 300 के पाँच अपवादों के अंतर्गत लाया जाता है। लेकिन, भले ही उक्त पाँच अपवादों में से किसी को भी अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर स्वीकार या प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं किया गया हो, फिर भी अभियोजन पक्ष को हत्या के आरोप को कायम रखने के लिए आईपीसी की धारा 300 के चार खंडों में से किसी एक के तहत मामला लाने के लिए कानून के तहत अभी भी आवश्यक होना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 300 के चार खंडों में से किसी एक को अर्थात् प्रथम से चतुर्थ खंड को स्थापित करने में इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो हत्या का आरोप नहीं बनाया जाएगा और मामला आईपीसी की धारा 299 के तहत वर्णित गैर-इरादतन हत्या का हो सकता है।

(8) न्यायालय को स्वयं ही मेन्सरिया के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। यदि धारा 300 के खंड तीन को लागू किया जाना है, तो हमलावर का मृतक को पहुँचाई गई विशेष चोट का इरादा होना चाहिए। इस तत्व को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा शायद ही कभी साबित किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से, यह मामले की सिद्ध परिस्थितियों से निकाले जाने वाले अनुमान का विषय है। न्यायालय को आवश्यक रूप से इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, शरीर के घायल हिस्से, चोट की सीमा, चोट पहुँचाने में इस्तेमाल किए गए बल की मात्रा, हमले के तरीके, हमले से पहले और हमले के बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए।

(9) हत्या करने का इरादा ही एकमात्र इरादा नहीं है जो किसी सदोष मानव वध को हत्या बनाता है। प्रकृति के सामान्य कारण में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त चोट या चोटें पहुँचाने का इरादा भी सदोष मानव वध को हत्या बनाता है यदि वास्तव में मृत्यु का कारण बना है और ऐसी चोट या चोटें पहुँचाने का इरादा उस कार्य या कार्यों से अनुमान लगाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप चोट या चोटें आई हैं।

(10) जब अभियुक्त द्वारा पहुँचाई गई एकल चोट के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो सामान्य सिद्धांत के रूप में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्त का मृत्यु या उस विशेष चोट का कारण बनने का इरादा नहीं था जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हुई। अभियुक्त का अपेक्षित दोषी इरादा था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

(11) जहां अभियोजन पक्ष यह साबित कर देता है कि अभियुक्त का इरादा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे शारीरिक चोट पहुंचाने का था और इच्छित चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तब, भले ही वह एक ही चोट पहुंचाता है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, अपराध सीधे तौर पर आईपीसी की धारा 300 के खंड तीन के अंतर्गत आता है जब तक कि अपवादों में से कोई एक लागू न हो।

(12) इस प्रश्न का निर्धारण करते समय कि क्या अभियुक्त का दोषी इरादा था या दोषी ज्ञान था, ऐसे मामले में जहां उसके द्वारा केवल एक ही चोट पहुंचाई गई है और वह चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, यह तथ्य कि कार्य अचानक लड़ाई या झगड़े में पूर्वचिंतन के बिना किया गया है, या यह कि परिस्थितियां यह उचित ठहराती हैं कि चोट आकस्मिक या अनजाने में हुई थी, या यह कि उसका केवल एक साधारण चोट पहुंचाने का इरादा था, दोषी ज्ञान के अनुमान को जन्म देगा, और अपराध आईपीसी की धारा 304 भाग II के अंतर्गत होगा।

38. कानून के प्रस्ताव की उपरोक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय को इस मामले में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना है:-

(i) क्या परीक्षण के दौरान प्राप्त सामग्री भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत किए गए अपराध के तत्वों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है? या

(ii) **क्या मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत आता है? या**

(iii) क्या तथ्यात्मक पहलू के आधार पर, मामला धारा 304 के भाग-I या उसके भाग-II के दायरे में आएगा? या

(iv) क्या अपीलकर्ता ठोस सबूतों के अभाव में बरी होने के हकदार हैं?

39. चूंकि, उपरोक्त सभी मुद्दे आपस में अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन पर नीचे एक साथ चर्चा और निर्णय किया जा रहा है।

40. आईपीसी की धारा 299 गैर इरादतन हत्या के बारे में बात करती है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जो कोई भी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से कार्य करके मृत्यु का कारण बनता है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है, या यह जानते हुए कि वह इस तरह के कार्य से मृत्यु का कारण बनने की संभावना है, गैर इरादतन हत्या का अपराध करता है। इस प्रकार, धारा 299 गैर इरादतन हत्या के अपराध को परिभाषित करती है जिसमें एक कार्य करना शामिल है - (ए) मृत्यु का कारण बनने के इरादे से; (बी) ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से (सी) इस ज्ञान के साथ कि कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, धारा 299 के घटक के रूप में "इरादा"

और "ज्ञान" सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के अस्तित्व को मानते हैं और यह मानसिक स्थिति अपराध के लिए आवश्यक विशेष मानसिक स्थिति है। तीसरी स्थिति का ज्ञान व्यक्ति की मृत्यु के ज्ञान या संभावना पर विचार करता है।

41. यदि अपराध जो ऊपर सूचीबद्ध खंडों में से किसी एक द्वारा कवर किया गया है, तो धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। यदि अपराध ऐसा है जो ऊपर वर्णित खंड (ए) या (बी) यानी धारा 299 आईपीसी के तहत कवर किया गया है, तो अपराधी भाग I आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि यह अभिव्यक्ति का उपयोग करता है कि मृत्यु मृत्यु का कारण बनने के इरादे से या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए होती है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, जहां इरादा प्रमुख कारक है। तथापि, यदि अपराध ऐसा है जो ऊपर उल्लिखित खंड (सी) के अंतर्गत आता है, तो अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि यहां अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है कि "यदि कार्य इस ज्ञान के साथ किया गया है कि मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु होने या शारीरिक चोट पहुंचाने के किसी इरादे के बिना किया गया है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है" जहां ज्ञान एक प्रमुख कारक है।

42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एआईआर 1976 एससी 1519 में रिपोर्ट किए गए जयराज बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में उपरोक्त तथ्य पर विचार करते हुए पैराग्राफ 32 और 33 में यह निर्णय दिया है, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

> *"**32.** इस उद्देश्य के लिए हमें धारा 299 पर जाना होगा जो "दोषी मानव वध" को परिभाषित करती है। यह अपराध ऐसा कार्य करने से संबंधित है*
>
> *(क) मृत्यु का कारण बनने के इरादे से, या*
>
> *(ख) ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनने के इरादे से, जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, या*
>
> *(ग) इस ज्ञान के साथ कार्य करने से होता है कि कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।*

33. जैसा कि इस न्यायालय ने अंडा बनाम राजस्थान राज्य [एआईआर 1966 एससी 148: 1966 सी आर आई एल.जे 171] में बताया था, x धारा 299 के तत्वों में "इरादा" और "ज्ञान" सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के अस्तित्व को दर्शाता पहली दो स्थितियों में दोषी इरादे से नुकसान पहुँचाए गए व्यक्ति की जान लेने या जानबूझ कर चोट पहुँचाने की संभावना होती है जिससे उसकी मौत हो सकती है। तीसरी स्थिति में ज्ञान से व्यक्ति की मौत की संभावना के बारे में जानकारी मिलती है।"

43. इस प्रकार, सदोष मानव वध और हत्या के अपराध को परिभाषित करते हुए, भारतीय दंड संहिता के निर्माताओं ने यह निर्धारित किया कि अभियुक्त को सदोष मानव वध या हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए अपेक्षित इरादा या ज्ञान उस समय आरोपित किया जाना चाहिए जब उसने वह कार्य किया जिससे मृत्यु हुई।

44. भारतीय दंड संहिता के निर्माताओं ने जानबूझकर दो शब्दों "इरादा" और "ज्ञान" का इस्तेमाल किया, और यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निर्माताओं का इरादा इन दो अभिव्यक्तियों के बीच अंतर करना था। किसी कार्य को करने में होने वाले परिणामों का ज्ञान, उस इरादे के समान नहीं है कि ऐसे परिणाम होने चाहिए। उन मामलों को छोड़कर, जहां यह साबित करने के लिए कि किसी व्यक्ति को कुछ निश्चित ज्ञान था, मेन्स रीआ की आवश्यकता नहीं है, उसे "अवश्य पता रहा होगा कि कुछ निर्दिष्ट हानिकारक परिणाम होंगे या हो सकते हैं।"

45. भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के मद्देनजर, धारा 304 भाग-II के तहत आरोप तैयार करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई सामग्री कम से कम प्रथम दृष्टया यह इंगित करनी चाहिए कि अभियुक्त ने ऐसा कार्य किया है जिससे मृत्यु हुई है, कम से कम इस ज्ञान के साथ कि ऐसे कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।

46. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **केशुब महिंद्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1996) 6 एससीसी 129** में अनुच्छेद 20 के तहत निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

"20. --- हम सबसे पहले धारा 304 भाग II आईपीसी के मुख्य प्रावधानों के तहत संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विचार करेंगे। धारा 304 भाग II पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि संबंधित अभियुक्त पर

उस प्रावधान के तहत गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है और ऐसा आरोप लगाते समय यदि यह आरोप लगाया जाता है कि संबंधित अभियुक्त का कार्य इस ज्ञान के साथ किया गया है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु का कारण बनने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के किसी भी इरादे के बिना जो मृत्यु का कारण बनने की संभावना है, आरोपित अपराध धारा 304 भाग II के तहत आएंगे। हालांकि धारा 304 भाग II के तहत कोई भी आरोप तय किए जाने से पहले, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से कम से कम प्रथम दृष्टया यह पता चलना चाहिए कि आरोपी गैर इरादतन हत्या का दोषी है और उसके द्वारा कथित तौर पर किया गया कृत्य गैर इरादतन हत्या के बराबर होना चाहिए। हालांकि, अगर संबंधित आरोपी के खिलाफ इस तरह का आरोप तय करने के लिए जिस सामग्री पर भरोसा किया जाता है, वह प्रथम दृष्टया यह भी नहीं दर्शाती है कि आरोपी गैर इरादतन हत्या के अपराध का दोषी है, तो धारा 304 भाग I या भाग II की कोई भूमिका नहीं रह जाती। इस संबंध में हमें दंड संहिता, 1860 की धारा 299 को ध्यान में रखना होगा जो गैर इरादतन हत्या को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि: "जो कोई मृत्यु का कारण बनने के इरादे से या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से मृत्यु का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, या यह जानते हुए कि वह इस तरह के कार्य से मृत्यु का कारण बन सकता है, वह गैर इरादतन हत्या का अपराध करता है।"

परिणामस्वरूप, धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत आरोप तैयार करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा जिस सामग्री का सहारा लिया गया है, उससे कम से कम प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलना चाहिए कि अभियुक्त ने ऐसा कार्य किया था, जिससे मृत्यु हुई, कम से कम उसे यह ज्ञान था कि ऐसे कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।"

47. भारतीय दंड संहिता की धारा 300 हत्या के बारे में बताती है जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि इसके बाद अपवादित मामलों को छोड़कर, सदोष मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु हुई है, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है, या, दूसरे, यदि यह ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से किया गया है जिसके

बारे में अपराधी जानता है कि इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है जिसे नुकसान पहुंचाया गया है, या तीसरे, यदि यह किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट कारित करने के आशय से किया गया है और जिस शारीरिक चोट कारित करने का आशय है वह प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, या चौथे, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह इतना आसन्न खतरनाक है कि इससे, सभी संभाव्यता में, मृत्यु हो सकती है, या ऐसी शारीरिक चोट हो सकती है जिससे मृत्यु हो सकती है, और वह ऐसा कार्य मृत्यु या पूर्वोक्त चोट कारित करने के जोखिम को उठाने के लिए किसी बहाने के बिना करता है।

48. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि ऊपर वर्णित शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दण्ड लागू नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि अभियुक्त ने जानबूझकर किसी की हत्या नहीं की है तो हत्या सिद्ध नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में हत्या के अपराध के लिए कुछ अपवादों का उल्लेख है, जो इस प्रकार हैं:-

(क) यदि किसी व्यक्ति को किसी तीसरे पक्ष द्वारा अचानक उकसाया जाता है और वह अपना संयम खो देता है, और जिसके परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति या उसे उकसाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यह प्रावधानित परन्तुक के अधीन हत्या नहीं मानी जाएगी।

(ख) जब कोई व्यक्ति निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जिसके विरुद्ध उसने बिना किसी पूर्वचिंतन और इरादे के इस अधिकार का प्रयोग किया है।

(ग) यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए और वैध इरादे से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है।

(घ) यदि यह किसी झगड़े के बाद आवेश में अचानक हुई लड़ाई में बिना सोचे-समझे किया गया हो और अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया हो या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया हो।

(ङ) जब वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई हो, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होने पर, अपनी सहमति से मृत्यु को सहन करता है या मृत्यु का जोखिम उठाता है, तो सदोष मानव वध हत्या नहीं है।

49. ऊपर वर्णित सभी अपवाद धारा 304 आईपीसी के दायरे में आएंगे और इन्हें सदोष मानव वध कहा जाएगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता।

50. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को हत्या के अपराध में दोषी ठहराते समय जिन मापदंडों का पालन किया जाना है, वे भिन्न होंगे यदि हत्या गैर इरादतन हत्या के अंतर्गत आती है और यह मापदंड भिन्न होंगे यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत अपवाद के बाह्य क्षेत्राधिकार के अनुसार हत्या करने के इरादे से की गई हो।

51. वर्तमान मामले में, साक्ष्यों से यह स्थापित होता है कि बिरसा बानरा (अब मृत) बामिया पिनुगा (अपीलकर्ता) के साथ बदई पिंगुआ के घर के सामने स्थित इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां बामिया पिंगुआ कुदाल से हल बना रहा था, उसने मृतक से अपनी बकाया राशि 250/- रूपये की मांग की। जिस पर मृतक ने बकाया राशि तत्काल वापस करने में असमर्थता दिखाई। इस पर बामिया पिंगुआ ने उसके सिर और गर्दन पर कुदाल से प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक-बिरसा बानरा उर्फ मिचाई बानरा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस तथ्य का समर्थन विशेषज्ञ गवाह डॉक्टर के साक्ष्य से भी होता है जो अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साक्ष्य से मेल खाता है।

52. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय अब अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करने जा रहा है ताकि साक्ष्यों का मूल्यांकन करके इस मुद्दे का उत्तर दिया जा सके कि क्या वर्तमान मामले में दोष भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या धारा 304 भाग-I या II के अंतर्गत आता है।

<u>साक्षियों की गवाही का विश्लेषण:</u>

53. **पी.डब्लू. 01 बाल्मीकि तामसोय** एवं पी.डब्लू.6 अर्जुन तामसोय घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। अतः यह न्यायालय सर्वप्रथम इन साक्षियों की गवाही का विश्लेषण करना उचित समझता है।

54. **पी.डब्लू.-01 बाल्मीकि तामसोय** घटना का स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना दिनांक 22.06.2012, शुक्रवार को सायं 4.45 बजे घटित हुई थी, उस समय वह बधाई पिंगुआ के घर के सामने स्थित इमली के पेड़ के नीचे मौजूद था। उस समय अर्जुन तामसोय, बधाई पिंगुआ, बुधु बानरा, मंगल सिंह पिंगुआ, बिरसा बानरा, चुंगरू पिंगुआ, बामिया पिंगुआ एवं 4-5 महिलाएं भी वहां मौजूद थीं। जहां अर्जुन तामसोय, बढई पिंगुआ, बुधु बानरा, मंगल सिंह पिंगुआ और बामिया पिंगुआ फरसा से हल चला रहे थे। बिरसा बानरा और बामिया पिंगुआ इमली के पेड़ के नीचे एक दूसरे के सामने बैठे थे और तंबाकू चबाते हुए एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, इस पर बामिया पिंगुआ नाराज हो गया और बिरसा बानरा से अपना 250/- रुपया वापस मांगा। तब बिरसा बानरा ने उससे कहा कि अगर पैसा नहीं लौटाया तो क्या होगा। जिस पर बामिया पिंगुआ ने फरसा से बिरसा बानरा के सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए जिससे वह वहीं गिर गया और काफी खून बहने लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी गांव के मुंडा को दी गई, जिस पर गांव के मुंडा ने डाकुआ की मदद से आरोपी बामिया पिंगुआ को इमली के पेड़ से बांध दिया।

55. उन्होंने आगे यह भी बयान दिया है कि अगले दिन सुबह 6 बजे पुलिस आई और जानकी कुई का बयान लिया तथा उसके बयान की विषय-वस्तु को समझा। उसने इसे सत्य पाया तथा फर्दबयान पर अपने अंगूठे का निशान लगाया। उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर भी किए तथा पहचान करने पर इसे एक्सटेंशन 1 के रूप में अंकित किया गया। उन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित अभियुक्त की पहचान की। जे.एम. के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए उनके बयान पर भी उनके हस्ताक्षर हैं तथा पहचान करने पर इसे एक्सटेंशन 2 के रूप में अंकित किया गया। अभियुक्त बामिया पिंगुआ ने भी पंचायत के मुखिया मदन मोहन बिरुआ के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया, जिस पर भी उनके हस्ताक्षर हैं तथा पहचान करने पर इसे एक्सटेंशन 3 के रूप में अंकित किया गया। बामिया पिंगुआ ने भी उनकी उपस्थिति में पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया। उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर भी किए तथा पहचान करने पर इसे एक्सटेंशन 4 के रूप में अंकित किया गया। बचाव पक्ष द्वारा उनसे विस्तार से जिरह की गई, लेकिन उनकी जिरह में ऐसा कुछ नहीं था, जिससे उनकी गवाही खारिज हो।

56. **पी.डब्लू..06 अर्जुन तामसोय** भी घटना का स्वतंत्र चश्मदीद गवाह है, जिसने सूचक के कथन की पूर्णतया पुष्टि की है तथा अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि घटना वर्ष 2012 में घटित हुई थी। उस समय वह स्नान करने जा रहा था तथा जब वह अपने गांव में इमली के पेड़ के नीचे पहुंचा तो देखा कि बामिया पिंगुआ तथा बिरसा बानरा मजाक कर रहे थे तथा हल चला रहे थे। मजाक के दौरान बामिया ने बिरसा बानरा से अपना 250/- रूपये का कर्ज वापस मांगा, जिस पर बिरसा ने कहा कि उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, इस पर बामिया पिंगुआ क्रोधित हो गया तथा उसने कुदाल से बिरसा के सिर पर वार कर दिया। जिससे उसके गर्दन से खून बहने लगा तथा उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटना स्थल पर आकर आरोपी बामिया पिंगुआ को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने ग्रामीणों और पुलिस के सामने आरोपी बामिया पिंगुआ के इकबालिया बयान पर अपने हस्ताक्षर किए और पहचान करने पर उनके हस्ताक्षर क्रमशः एक्सटेंशन 3/3 और 4/2 के रूप में अंकित किए गए। आदजे को जब्त कर लिया गया और उसके सामने पुलिस द्वारा जब्ती सूची तैयार की गई। उसने जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर किए।

57. विद्वान जेएम श्री मनोरंजन कुमार के समक्ष उनका बयान भी दर्ज किया गया, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत दर्ज उनके बयान पर जब्ती सूची पर उनके हस्ताक्षर को क्रमश: एक्सटेंशन 6/1 और 8 के रूप में अंकित किया गया है। उन्होंने कटघरे में उपस्थित अभियुक्तों की पहचान की। अपने जिरह में उन्होंने कहा कि पुलिस ने 23.6.2012 को उनका बयान लिया, घटनास्थल पर पुलिस द्वारा कुल्हाड़ी को सील कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपना बयान पढ़ा।

58. पी.डब्लू.2 मदन मोहन बिरुआ, पी.डब्लू.3 मथुरा तामसोय, पी.डब्लू. 4 प्रताप पूर्ति, पी.डब्लू.5 बुधन सिंह तामसोय पी.डब्लू.7 कुशनो बानरा, पी.डब्लू.10 सागर तामसोय इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं हैं, बल्कि वे सुनी-सुनाई बातों पर आधारित गवाह हैं। वे घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के शरीर पर जख्म के निशान देखे। उन्होंने सुना कि बामिया पिंगुआ ने बधाई पिंगुआ के घर के सामने स्थित इमली के पेड़ के नीचे 'हांसी' से वार कर बिरसा बानरा की हत्या की है। अर्जुन तामसोय, बधाई पिंगुआ, बुधु बानरा, प्रताप पूर्ति, सागर तामसोय, बाल्मीकि तामसोय, मथुरा तामसोय और बुधन

सिंह तामसोय ने भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि अभियुक्त बामिया पिंगुआ ने कुल्हाड़ी से सिर और गर्दन पर वार कर बिरसा बानरा की हत्या की है।

59. **सूचक पी.डब्लू.8 जानकी कुई** ने अपने साक्ष्य में अभियोजन पक्ष के मामले को दोहराया है और कहा है कि उसके पति की हत्या बामिया पिंगुआ ने 'हांसी' से सिर और गर्दन पर वार कर की है। उसने अपने पति के सिर और गर्दन पर जख्म के निशान देखे। उसने सुना कि बामिया पिंगुआ ने उसके पति से अपना बकाया पैसा मांगा लेकिन उसने उक्त रकम का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण उसने उसके पति की हत्या कर दी।

60. **पी.डब्लू.9 डॉ. बी.के. पंडित** ने मृतक बिरसा बानारा @ मुचुई के शव का 23.05.2012 को पोस्टमार्टम किया और उसके शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाईं -

बाहरी और आंतरिक चोटें

I. गर्दन पर बाईं ओर 4"x2"x3" गहरी धारदार कटने की चोट, जिससे सभी ऊतक और कशेरुका आंशिक रूप से कट गए।
II. खोपड़ी पर बीच में 4"x3"xहड्डी गहरी धारदार कट, मस्तिष्क के पदार्थ में चीरा, कपाल गुहा के अंदर रक्त का थक्का।

पेट में अपचित भोजन सामग्री मौजूद।

हृदय-दोनों कक्ष खाली।

मृत्यु का कारण-सिर पर चोट, रक्तस्राव और सदमा। उपरोक्त चोटें मृत्यु-पूर्व प्रकृति की हैं और धारदार वस्तु से लगी हैं।

61. यद्यपि, डॉक्टर से विस्तार से जिरह की गई, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी खारिज हो सके। इस प्रकार, चिकित्सकीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मौत सिर में चोट, रक्तस्राव और धारदार वस्तु से आघात के कारण हुई है। चिकित्सकीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह हत्या का मामला है।

62. **पी.डब्लू..11 विनोद उरांव** इस मामले के जांच अधिकारी हैं, जिन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि की और अपने साक्ष्य के माध्यम से घटनास्थल को साबित किया। उन्होंने

घटनास्थल पर खून के धब्बे भी पाए। कुल्हाड़ी की उत्पादन-सह-जब्ती सूची (एक्सटेंशन6/2) उनके द्वारा तैयार की गई थी। उन्होंने कुल्हाड़ी को जांच के लिए एसएफएसएल को भेजा था। एसएफएसएल रिपोर्ट (एक्सटेंशन 13/1) से यह भी पता चला कि कुल्हाड़ी पर ए-ग्रुप का मानव रक्त पाया गया था। जांच के दौरान उन्होंने मामले को सही पाया और मृतक बिरसा बानरा की हत्या करने के लिए आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया हालांकि, अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की गवाही देखने के बाद, हमने पाया कि घटनास्थल, अपीलकर्ता और मृतक कुल्हाड़ी की मदद से हल बना रहे थे, इस बात से अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को विपरीत सुझाव देकर स्पष्ट रूप से/विशेष रूप से इनकार नहीं किया है। अपीलकर्ता ने यह भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया है कि घटनास्थल पर किसी अन्य व्यक्ति को कोई चोट लगी है। इन परिस्थितियों में, यह निर्णायक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि कुल्हाड़ी पर लगा खून मृतक का है।

63. इस न्यायालय ने गवाहों के साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर पाया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने चश्मदीद गवाह पी.डब्लू.1 और पी.डब्लू.6 के साक्ष्यों के साथ-साथ अन्य गवाहों के साक्ष्यों और दस्तावेजी साक्ष्यों अर्थात आरोपी बामिया पिंगुआ द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिए गए न्यायेतर इकबालिया बयान (एक्सटेंशन 3/1), कुल्हाड़ी की उत्पादन-सह-जब्ती सूची (एक्सटेंशन 6/2), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्सटेंशन 9), जांच रिपोर्ट (एक्सटेंशन 12) और एस.एफ.एस.एल. रिपोर्ट (एक्सटेंशन 13 और 13/1) के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे यह साबित करने में सक्षम रहा है कि घटना के दिन आरोपी बामिया पिंगुआ ने मृतक बिरसा बानरा पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या की थी। तदनुसार, आरोपी बामिया पिंगुआ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी माना गया। बिरसा बानरा की हत्या करने के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

64. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने वैकल्पिक रूप से यह दलील दी है कि भले ही यह मान लिया जाए कि आरोपी ने मृतक पर हमला किया है, लेकिन गवाही से यह स्पष्ट है कि यह बकाया राशि की मांग को लेकर झगड़ा था और हत्या का अपराध करने से पहले कोई पूर्व-योजना नहीं बनाई गई थी। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता हल बना रहा था और उसने मृतक के सिर और

गर्दन पर वार किया क्योंकि वह मृतक के आचरण से क्रोधित हो गया था जिसने अपीलकर्ता को 250/- रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। इसलिए, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने उसी समय हल बनाते समय इस्तेमाल किए जा रहे कुल्हाड़ी से वार किया है।

इसलिए इस आधार पर भी मृतक की हत्या करने के इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जाना चाहिए। रिकार्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता का मृतक के शरीर पर कोई विशेष चोट पहुंचाने का इरादा था।

65. जबकि दूसरी ओर, विद्वान अपर पुलिस अधीक्षक ने यह तर्क दिया है कि अपीलकर्ता ने धारदार हथियार से मृतक के महत्वपूर्ण अंग पर प्रहार किया है, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई, जो प्रत्यक्षदर्शी द्वारा पूर्णतः सिद्ध हो चुका है, तथा चिकित्सा साक्ष्य द्वारा भी इसकी पुष्टि हो चुकी है, अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

66. अनबझगन (सुप्रा) के मामले में जिसके तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से लगभग मिलते-जुलते हैं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार से टिप्पणी की गई है:-

> ***67.*** *हम एक बार फिर इस मामले के तथ्यों को दोहराते हैं। घटना के दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पिता और पुत्र सुबह-सुबह अपने कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे। वे फसल को ले जाना चाहते थे, उन्होंने फसल काट ली थी और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक लॉरी मंगवाई थी। लॉरी आ गई, लेकिन मृतक ने लॉरी के चालक को विवादित मार्ग का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। इसके कारण अपीलकर्ता और मृतक के बीच मौखिक विवाद हुआ। मौखिक विवाद के काफी समय बाद, अपीलकर्ता ने मृतक के सिर पर अपराध के हथियार (खरपतवार कुल्हाड़ी) से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।*
>
> ***68.*** *रिकॉर्ड पर मौजूद समग्र साक्ष्य को देखते हुए, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल लगता है कि जब अपीलकर्ता ने मृतक पर अपराध के हथियार से हमला किया, तो उसका इरादा ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाना था जो सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। वर्तमान मामले में अपराध का हथियार*

एक सामान्य कृषि उपकरण है। यदि किसी व्यक्ति के सिर पर पर्याप्त बल से कुल्हाड़ी से वार किया जाता है, तो इससे मृत्यु अवश्यंभावी है, जैसा कि यहां हुआ। यह सच है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाई गई चोटें पार्श्विका हड्डी के साथ-साथ टेम्पोरल हड्डी के फ्रैक्चर हैं। मृतक की मृत्यु मस्तिष्कीय संपीड़न यानी सिर की अंदरूनी चोटों के कारण हुई। हालांकि, विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या यह अपने आप में यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ता का इरादा ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का था जो मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। हमारा विचार है कि अपीलकर्ता को केवल इस ज्ञान के साथ ही दोषी ठहराया जा सकता है कि इससे ऐसी चोट लगने की संभावना थी जिससे मृत्यु होने की संभावना थी। ऐसी परिस्थितियों में हम यह विचार करने के लिए इच्छुक हैं कि यह मामला आईपीसी की धारा 300 के खंड तीन के अंतर्गत नहीं आता है।

***69.** मामले के उपर्युक्त दृष्टिकोण और विशेष रूप से उपर्युक्त वर्णित विधि के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आईपीसी की धारा 304 भाग I के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत बदल दिया गया है। बदली हुई दोषसिद्धि के लिए, अपीलकर्ता को पाँच वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।*

67. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश बनाम रायवरपु पुन्नय्या (सुप्रा) और अनबझगन (सुप्रा) के मामले में, जिसमें धारा 299 आईपीसी, धारा 300 और धारा 304 आईपीसी के बीच अंतर किया गया है, वर्तमान मामले में रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहेगा।

68. वर्तमान मामले में, गवाहों की गवाही के अवलोकन से यह देखा गया है कि सूचक सहित किसी भी गवाह ने एक शब्द भी नहीं कहा है कि पक्षों के बीच पहले से दुश्मनी थी, बल्कि यह रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य में आया है कि तंबाकू चबाने के दौरान आरोपी और मृतक एक-दूसरे पर मजाक कर रहे थे, इस पर बामिया पिंगुआ क्रोधित हो गया और उसने बिरसा बानरा से 250/- रुपये वापस करने को कहा। तब, बिरसा बानरा ने उससे

कहा कि अगर वह पैसे वापस नहीं करेगा तो क्या होगा। जिस पर बामिया पिंगुआ ने बिरसा बानरा के सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वह वहीं गिर पड़ा और बहुत अधिक रक्तस्राव होने लगा और उनकी आंखों के सामने ही उसकी मौत हो गई। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता की ओर से कथित कृत्य करने के लिए कोई पूर्व-योजना नहीं थी। रिकॉर्ड पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतक और अपीलकर्ता घटनास्थल पर काम कर रहे थे और अपीलकर्ता द्वारा 250/- रुपये की मांग और मृतक की ओर से इनकार करने के कारण वर्तमान अपराध कारित हुआ। अतः अपराध की उत्पत्ति और तरीके से, बिना किसी संदेह के यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपीलकर्ता की ओर से मृतक की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था और अपीलकर्ता की मृतक के शरीर पर उस विशेष चोट को पहुंचाने की भी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन साथ ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अपीलकर्ता के ज्ञान में था कि अपीलकर्ता के कार्य से चोट लगने की संभावना थी और जिससे मृतक की मृत्यु होने की संभावना थी।

69. इस स्तर पर, इस सुस्थापित सिद्धांत को दोहराना आवश्यक है कि अभियुक्त के अपराध का निर्णय विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। अभियुक्त के शरीर पर पाई गई चोटें उत्पत्ति और घटना के तरीके के संबंध में महत्व रखती हैं।

70. इस प्रकार, मामले के सम्पूर्ण पहलुओं पर विचार करते हुए तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की सूक्ष्म जांच करने पर हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अचानक हुए विवाद के कारण, अभियुक्त जिसके हाथ में कुदाल (एक धारदार हथियार) था, ने आवेश में आकर मृतक के शरीर पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया तथा घायल अवस्था में गिर गया और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कुदाल से सिर पर वार करने का कृत्य किसी पूर्व-योजना या इरादे से नहीं किया गया था, बल्कि यह मृतक द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने से इनकार करने के कारण आवेश में आकर किया गया था, जब अपीलकर्ता द्वारा इसकी मांग की गई थी।

71. उपरोक्त चर्चा तथा न्यायिक घोषणा और अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही की पृष्ठभूमि में तथा साथ ही वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,

हमारा मत है कि अपीलकर्ता द्वारा किया गया हमला पूर्व-योजनाबद्ध और जानबूझकर नहीं किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा मृतक के शरीर पर मृत्यु या शारीरिक चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि यह अचानक आवेश और क्षणिक आवेश में किया गया था, लेकिन अपीलकर्ता को यह अच्छी तरह से पता था कि मृतक पर धारदार हथियार से ऐसा वार करने से मृतक की मृत्यु होने की संभावना है। इसलिए, हमारा विचार है कि वर्तमान मामला सीधे तौर पर आईपीसी की धारा 299 के तीसरे भाग के अंतर्गत आता है।

72. परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध करने के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते समय, पिछले पैराग्राफ में दर्ज सभी तथ्यों की अनदेखी करके गलती की है।

73. तदनुसार, हमारा विचार है कि धारा 302 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाले आक्षेपित निर्णय को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के निर्णय में संशोधन करके हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

74. परिणामस्वरूप, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को संशोधित किया जाता है और अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के तहत दोषी ठहराया जाता है।

75. सजा के सवाल पर, हमें सूचित किया गया है कि अपीलकर्ता पहले से ही 11 साल से अधिक समय तक कारावास भुगत चुका है।

<u>निष्कर्ष:</u>

76. उपर्युक्त परिस्थितियों में, **हम कारावास की सजा को पहले से ही भुगती गई अवधि तक संशोधित करने के लिए इच्छुक हैं। अपीलकर्ता को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि उसे किसी अन्य मामले में हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।**

77. उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर, सत्र परीक्षण वाद संख्या 241/2012 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-III, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 14.09.2017 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 16.09.2017 के सजा के आदेश को पूर्वोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

78. **तदनुसार, दोषसिद्धि के निर्णय तथा सजा के आदेश में पूर्वोक्त संशोधन के साथ वर्तमान अपील खारिज की जाती है।**

79. इस निर्णय की एक प्रति के साथ निचली अदालत के अभिलेखों को तत्काल संबंधित अदालत को वापस भेजा जाए।

80. लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया गया है।

मैं सहमत हूं

(अरुण कुमार राय, जे.)

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे.)

(अरुण कुमार राय, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक: रांची 30/04/2024
अलंकार/ए.एफ.आर.

अनुवादक: एडवोकेट मधु कुमारी